

## FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(निमम 26)

पाली मुकाम पाली

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

प्रार्थी :-  
तहसीलदार (भूमिधारक), पाली

1. राजस्थान सरकार वगैरह

26 / 2021

किरम मुकदमा - राजस्व विविध मु.नं.

अन्तर्गत धारा 136, 131 रा.भू.रा.अधिनियम, 1956

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिभियत जल


नम्बर व तारीख  
जो इस हुकम की  
तारीख में जारी  
हुई।

15.06.21

राजस्व रेकर्ड एवं तरसीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। जो दर्ज राजस्तर हो। चूंकि डिजिटाइजेशन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के कारण प्रकरण की प्रकृति के मध्यनजर तहसीलदार पाली की बहस सुनी गई। बाद सुनने बहस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाइजेशन हेतु संवाचित डिजिटल इण्डिया भू.अ. आधुनिकीकरण कार्यक्रम के (DILRMP) अन्तर्गत के अन्तर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौके एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरसीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम आकेली पटवार मण्डल आकेली तहसील पाली के खं. नं. 249 के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में पटवार हल्का आकेली की रिपोर्ट एवं भू.अ.नि. एवं तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर विभाजन/एकीकरण करने के आदेश दिये जाते है एवं खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

विरस्तुत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया जो शामिल मिशाल हो। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रवली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर  
पाली
